न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–46 / 2024 विविध

सोहन लाल उर्फ सोहन सिंह पुत्र लच्छूराम, जाति अराई, निवासी मानकसर, तहसील संगरिया, तहसील व जिला हनुमानगढ, पिन कोड–335065, राजस्थान।

––प्रार्थी

बनाम

1. राकेश मीणा एसडीओ संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ, राजस्थान पिन कोड–335063।
2. सहायक अभियंता (खण्ड घग्घर) जल संसाधन विभाग, हनुमानगढ, राजस्थान पिन कोड–335512।
3. अधिशासी अभियंता खण्ड द्वितीय, जल संसाधन विभाग, हनुमानगढ, तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान पिन कोड–335512।
4. मुरलीधर शर्मा नायब तहसीलदार संगरिया, तहसील संगरिया, हनुमानगढ तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, जिला हनुमानगढ, राजस्थान पिन–335065।

––असल अप्रार्थीगण

5. मोहन लाल पुत्र लच्छूराम, जाति अराई, निवासी वार्ड नं. 7, मानकसर, तहसील व जिला हनुमानगढ, राजस्थान पिन कोड–335065।

––तरतीबी अप्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ सत्यमेव जयते

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाद पत्र सोहन लाल आदि बनाम सहा. अभियन्ता वगैरह प्रकरण संख्या 95 / 2016 को न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, संगरिया से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल बाबत।

उपस्थितः–1. श्री नवदीप कड़वासरा अधिवक्ता–प्रार्थी।
2. श्री भवानी सिंह निर्वाण अप्रार्थी सं. 2 ता 3।
3. शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–01.05.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 5 द्वारा एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136 एलआरएक्ट सोहन लाल आदि बनाम सहायक अभियंता आदि श्रीमान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में दिनांक 11.04.2016 को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि वादीगण के नाम चक 19 एमकेएस पटवार हलका मानकसर (नहरी चक 2 एसटीडी) के खाता सं. 30 / 23 खाता जसवन्त सिंह वगैरह में दर्ज राजस्व रिकार्ड व कब्जा काश्त है। चक 19 एम के एस (नहरी चक 2 एस टी डी) खाता संख्या 30 / 23 में वादी सं. 1 के नाम दर्ज आराजी में प नं. 150 / 235 मु नं. 34 कि नं. 23 ता 25 / 0.228 प्रत्येक व प नं. 151 / 235 मु नं. 35 के किला नं. 21 ता 24 / 0.228 प्रत्येक गैर मुमकिन खाला / 0.150 एवं वादी सं. 2 के नाम से प नं. 151 / 235 मु नं. 35 के किला नं. 17 / 0.253, 24 / 0.228, 25 / 0.202 गै. मु. खाला / 0.077 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है किन्तु चक 19 एम के एस के मु नं. 150 / 235 मु नं. 34 के किला नं. 23 ता 25 / 0.228 गै मु / 0.075 खाला व प नं. 151 / 235 मु नं. 35 के किला नं. 21 ता 24 / 0.0228 प्र, 25 / 0.202 गै मु / 0.152 खाला के रूप मे दर्ज की गई है जबकि वर्तमान मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.20 09:42:00 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आरजी में कोई खाला चालू नहीं है। उक्त खाला पिछले काफी समय से बंद चला आ रहा है और न ही उक्त खाला की वर्तमान में कोई आवश्यकता है और न ही उक्त खाला सिंचाई विभाग के रिकार्ड में दर्ज है। सिंचाई विभाग की तस्दीक पत्र क्रमांक एफ–3/टी–7/7930 दिनांक 8.3.16 के अनुसार यह स्पष्ट है कि वर्तमान में उकत आराजी बाबत सिंचाई विभाग में कोई खाला स्वीकृत नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी बतौर गै मु खाला स्वीकृत नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी बतौर गै मु खाला के रूप में दर्ज चली आ रही है जिस कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है इसलिए वादीगण चक 19 एम के एस प नं. 150/235 मु नं. 34 कि नं. 23 ता 25/0.228 गैमु/0.075 खाला व प नं. 151/235 मु नं. 35 के किला नं. 21 ता 24/0.228प्र, 25/0.202 गैर मुमकिन /0.152 में दर्ज गैर मुकिन खाला की आराजी को बतौर मुमकिन आराजी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं एवं इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करना चाहते हैं। प्रार्थी के सगे भानजे मनदीप सिंह पुत्र जसराम सिंह द्वारा श्रीमान् मुख्य शासन सचिव के समक्ष पूर्व उपखण्ड अधिकारी संगरिया रमेश देव एवं नायब तहसीलदार पर पद का दुरूपयोग, राजस्व का नुकसान, एवं भ्रष्टाचार करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर सरकारी जमीन पर विधि विरूद्ध स्थगन आदेश पारित कर अतिक्रमियों को अतिक्रमण करवा कर राजस्व को नुकसान एवं अतिक्रमियों को लाभ देने के आरोप में भष्ट्राचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने पूर्व अभियोजन स्वीकृति प्रार्थना–पत्र एवं 15,30,000/– पंद्रह लाख तीस हजार रूपये की रिकवरी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसका जांच वर्तमान में ए.डी.एम. (Stamp) हनुमानगढ़ के समक्ष विचाराधीन है, के द्वारा की जा रही है। शिकायत प्रतिलिपि संलग्न परिवाद है। प्रार्थी एक वृद्ध व्यक्ति है जो न्याय पाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 के कार्यालय के लंबे समय से चक्कर लगा कर मानसिक रूप से परेशान होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 के कहे अनुसार प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है एवं प्रार्थी उक्त वर्णित वाद को निम्न आधारों पर अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करवाना चाहता है:–

(क) प्रार्थी द्वारा वर्णित वाद की पैरवी करने के लिये अधिवक्ता नियुक्त किया है, वर्तमान अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण में पैरवी करने का मना कर दिया है, जब प्रार्थी द्वारा अन्य अधिवक्ताओं से सम्पर्क किया तो सभी अधिवक्ता से यह कहकर मना कर दिया कि यह मामला हमारे संज्ञान में है। यदि इस प्रकरण में हम आपकी पैरवी करें तो अधिकारी हमारा काम रोक लेते हैं यदि इस प्रकरण में हम आपकी पैरवी करेंगे तो उक्त अधिकारी हमारा काम रोक लेंगे क्योंकि पीठासीन अधिकारी एवं वर्तमान नायब तहसीलदार मुरलीधर शर्मा द्वारा अनावश्यक दबाव बना कर उक्त मामले में किसी वकील को पैरवी नहीं करने दे रहे हैं इसलिए अब प्रार्थी के प्रकरण की पैरवी के लिये कोई अधिवक्ता नहीं उपलब्ध हो रहा है।

(ख) प्रार्थी द्वारा जब अपने दावे की पैरवी के लिये निर्धारित तारीख पर कोर्ट गांव–मानकसर से न्यायालय परिसर संगरिया जाते है तो वर्तमान नायब तहसीलदार के कहने पर जान–बूझकर पुलिस के द्वारा प्रार्थी को रास्ते में अवैध रूप से कार रोककर नशे की जांच/कागजात चैक करने के लिये घण्टों भर रोककर अनावश्यक रूप से परेशान/टार्चर करते हैं कि आपके भानजे मनदीप सिंह पुत्र जसराम सिंह ने हमारे अधिकारियों पर केस कर रखा है। हम आपकी संगरिया में कहीं भी पार नहीं पड़ने देंगे। आप अधिकारियों के खिलाफ शिकायत को नोट प्रेस कर लो इसमें आपकी भलाई है।

(ग) प्रार्थी ने वर्तमान पीठासीन अधिकारी राकेश मीणा से जब सम्पर्क कर कहा कि साहब उपरोक्त वर्णित वाद में नियुक्त अधिवक्ताओं पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा नाजायज दबाव बनाना बंद करे, जिसके कारण मेरे को कोई वकील पैरवी के लिये उपलब्ध नहीं हो रहा तो पीठासीन अधिकारी द्वारा पत्रावली मंगवाकर पढ़कर प्रार्थी को कहा कि यह मामले में मैं सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि अप्रार्थी सं. 2 व रमेश देव मेरे अच्छे मित्र है। आपके भानजे मनदीप सिंह पुत्र जसराम सिंह ने उनकी ऊपर शिकायत कर रखी है, जब तक आप वो शिकायत/अभियोजन स्वीकृति प्रार्थना पत्र प्रार्थी वापिस नहीं ले लेते तब तक मैं आपके विचाराधीन प्रकरण में [illegible]वाही नहीं कर पाऊंगा और ना ही साक्ष्य ग्रहण करुंगा। इस प्रकार वर्तमान अ[illegible] की कोई उम्मीद नहीं बची है और ना ही प्रार्थी वाद में पैरवी के न्याया[illegible] एवं प्रार्थी के मामले में कोई वकील भी नियुक्त नहीं हो रहा, इस कारण के प्रार्थी वर्णित प्रक[illegible] को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करवाने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.20 09:42:00 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर न्याय हित के लिए स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित प्रकरण सोहन लाल आदि बनाम सहायक अभियंता वगैरह वाद सं. 95/2016 को न्यायालय सहायक कलक्टर, संगरिया से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल हेतु करके तय समय सीमा में विधि सम्मत् कार्यवाही करके न्याय दिलाने जाने निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व सहा. कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, संगरिया तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई।

अप्रार्थी सं. 01 से जवाब/टिप्पणी प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थी का वाद सं. 95/2016 अनवान सोहन लाल उर्फ सोहन सिंह वगैरा बनाम स्टेट आदि न्यायालय में दिनांक 11.04.2016 दायर हुआ है जो दिनांक 28.01.2020 से साक्ष्य वादी पर आज भी मुर्कर है। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता को निश्चित तिथी पर साक्ष्य वादी पेश करने हेतु कहा गया तो उसके द्वारा मनघड़त कहानी गठित कर दबाव डालने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो आधारहीन है। प्रार्थी के उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति/एतराज नहीं है।

अप्रार्थी सं. 04 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में बिन्दु सं. 02 में वर्णित कथन में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 05 द्वारा सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया में वाद लम्बित होना स्वीकार है जिसमें अप्रार्थी सं. 4 को कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। प्रार्थना पत्र की बिन्दु सं. 04 अस्वीकार है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया इसके विरूद्ध कोई झूठी शिकायत दर्ज की गयी है जिसके बाबत अगर कोई जांच की जाती है तो अप्रार्थी सं. 4 करने के लिए तैयार व तत्पर है। बिन्दु सं. 5 क अस्वीकार है। प्रार्थी सोहनलाल को में अप्रार्थी सं. 4 व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं तथा न ही मैं अप्रार्थी सं. 04 द्वारा किसी वकील को पेरवी करने व न करने हेतु कोई अनावश्यक दवाब नहीं बनाया गया केवल अप्रार्थी सं. 4 को परेशान करने हेतु पक्षकार बनाया गया है। बिन्दु सं. 5 ख में वर्णित कथन अस्वीकार है। मुझ अप्रार्थी सं. 4 को परेशान करने हेतु झूठे व बेबुनियाद तथ्य लिखे गये है। पुलिस अपना काम स्वतंत्र तरीके से करती है न की किसी प्रशासनिक अधिकारी के कहे अनुसार कार्य करती है। प्रार्थना पत्र के चरण सं. 5 के खण्ड स अस्वीकार है। बिन्दु सं. 5 से 7 कानूनी है। अतः उक्तानुसार वर्णित प्रकरण में न्यायाहित में माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एक वृद्ध व्यक्ति है जो न्याय पाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 के कार्यालय के लंबे समय से चक्कर लगा कर मानसिक रूप से परेशान होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 के कहे अनुसार प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। पीठासीन अधिकारी एवं वर्तमान नायब तहसीलदार मुरलीधर शर्मा द्वारा अनावश्यक दबाव बना कर उक्त मामले में किसी वकील को पैरवी नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए अब प्रार्थी के प्रकरण की पैरवी के लिये कोई अधिवक्ता नहीं उपलब्ध हो रहा है। वर्तमान अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है और ना ही प्रार्थी वाद में पैरवी के न्यायालय जाने में समर्थ है एवं प्रार्थी के मामले में कोई वकील भी नियुक्त नहीं हो रहा, इस कारण के प्रार्थी वर्णित प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल करवाने की अधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 राजनैतिक एवं असम्यक प्रभाव में है और अपने विधिक कृतव्यों का पूर्ण इमानदारी से पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही अप्रार्थी सं. 1 द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी को यह आशंका है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दबाव में आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खारिज कर देगा। इसलिए पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं होने पर विचारण न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र किसी अन्यत्र न्यायालय में निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वकील अप्रार्थी सं. 02 ता 03 ने जवाब [illegible] में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. [illegible] यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें अप्रार्थी सं. 02 ता 03 पर कोई आक्षेप अंकित [illegible] किये है फिर भी राज्य हित को सुरक्षित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.20 09:42:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

रखते हुए प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकित किया जाता है तो मुझ अप्रार्थी सं. 02 ता 03 को कोई ऐतराज नहीं है।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये है वे झूठे व निराधार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 01 पर जो आरोप लगाये गये है, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकरी, संगरिया की टिप्पणी के अनुसार सब असत्य एवं मिथ्या है। प्रार्थी ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। फिर भी प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो इसमें कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन वाद पत्र सं. 95/2016 को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण करवाने के सम्बन्ध में है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया की टिप्पणी के अवलोकन अनुसार उनके उपर प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप सब असत्य एवं मिथ्या है। प्रार्थी का वाद पत्र न्यायालय में दिनांक 11.04.2016 से दायर है जो दिनांक 28.01.2020 से साक्ष्य वादी पर आज भी मुर्कर है। प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता को निश्चित तिथी पर साक्ष्य वादी पेश करने हेतु कहा गया तो उसके द्वारा मनघड़त कहानी गठित कर दबाव डालने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो आधारहीन है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में जो भी आदेश पारित होते है तो इसमें कोई आपत्ति जाहिर नहीं किया जाना पाया गया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी के प्रकरण की पैरवी के लिये कोई अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हो रहा है। वर्तमान अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं बची है और ना ही प्रार्थी वाद में पैरवी के न्यायालय जाने में समर्थ है एवं प्रार्थी के मामले में कोई वकील भी नियुक्त नहीं हो रहा। अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 राजनैतिक एवं असम्यक प्रभाव में है और अपने विधिक कृतव्यों का पूर्ण इमानदारी से पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं. 95/2016 बअनवानी सोहन लाल आदि बनाम सहा. अभियन्ता वगैरह को सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को स्थानान्तरित किया जाता है। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया को अपनाते हुए प्रकरण का विधिसम्मत निस्तारण करें। सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त प्रकरण को सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को शीघ्र भिजवाये। आदेश की प्रति सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया व सहा. कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनाक 01.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.20 09:42:00 IST
Reason: SelfAttested